18/3/2024 अधिवक्ता प्रार्थीगण अनुपस्थित। आवाज लगवाई गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण अथवा प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित नहीं हुए। अतः प्रकरण सख्त हाजरी अदम पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली पेश हुआ छोटा आकार से कम हो एक बार पत्रावली मरेजा 168/2018 के साथ संलग्न की जावे।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner